

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम महोदय पं०म० बल/१५५१ मू०अ०नि०वृत्त गिरपुर तहसील- आबूरोड

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	२४९	फिल २	०.१०॥	किशनलाल पुत्र रोरीया	किशनलाल पुत्र रोरीया	फिल रोरीया से
2.	४०	फिल ७	१-१२३३	किशनलाल पुत्र रोरीया	किशनलाल पुत्र रोरीया	सम्मान अणक नाम ↓ रोरीया किये जाना है।

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संवत् २०७१-७१ के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा १३८ राज० मू० राजस्व अधिनियम १९५८ के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

रोरीया → रोरीया  
शुद्ध किए जाने की सिफारिश  
विशेष की जाती है


प०हल्का बल/१५५१  
मू०अ०नि० गिरपुर  
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का बल/१५५१  
मू०अ०नि० गिरपुर  
राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर

  
उपखण्ड अधिकारी  
गिरपुर

  
२५/१२/२५  
तहसीलदार आबूरोड  
जिला-सिरोही

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड

दिनांक ११/१०/२५